



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No.3 of 1997)

प्रो. देवराज/ Prof. Devraj

Mobile : 09665976661

अधिष्ठाता – अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ

Dean – School of Translation & Interpretation

पत्रांक : अनु.वि/जा.क्र./353

दिनांक : 31/01/2018

(सूचना)

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत अनुवाद अध्ययन विभाग के एम.फिल. शोधार्थियों को अपना शोध-कार्य मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करने के लिए, सूचना जारी किए जाने की तिथि से, दो माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।

देवराज
31/1/18
(प्रो. देवराज)

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति महोदय
2. प्रभारी, अकादमिक विभाग
3. प्रभारी, विभागाध्यक्ष (अनुवाद अध्ययन विभाग)
4. सहायक कुलसचिव, अकादमिक विभाग
5. परीक्षा प्रभारी
6. सूचना फलक
7. संबंधित पत्रावली
8. प्रभारी, लीला (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)